सिरोही (राज.)

16-01-2026

प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 (एक) के वकील अनुपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन खारिज किया जा चुका है ऐसी स्थिति में यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल हो।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)